रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D)-73

Central Secretariat Library
14 1 1974
Govt. of India

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 1974/आश्विन 20, 1896

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 1974/ASVINA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1971

सा० का० नि० 1097.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कार्यालय-अधीक्षक) भर्ती नियम, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कार्यालय-अधीक्षक) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (कार्यालय-अधीक्षक) भर्ती नियम 1966 में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे अर्थात्—

4 अयोग्यताएं —ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा,

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, या विवाह का विधित समझौता किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बन्धन से छूट दे सकती है।

5 छूट देने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, वहां वह आदेश द्वारा, लिखित कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6 व्यावृत्ति —इन नियमों में की गई कोई भी व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए नियमों के अनुसार अनुसूचित-जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए किये जाने वाले आरक्षणों और उन्हें दी जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

[सं० 213/9/71-एवीडी-2]

बी० सी० वनजानी, अवर सचिव

81GI/74—1

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Hindi Translator	One	General Central Service Class III Ministerial Non-Gazetted	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	Between 21 and 30 years	Essential : (i) Degree of a recognised University with Hindi and English as elective/compulsory subjects. (ii) At least 2 years experience in translation from English to Hindi and vice-versa.

Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 Years	By deputation or transfer failing which by direct recruitment.	In case of Deputation or transfer, selection from Lower Division Clerks/ Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service or Stenographers Grade III of Central Secretariat Stenographers' Service with five years' service and who possesses educational qualifications indicated in column. 7. Period of deputation : Normally three years which may be extended by one year in public interest.	Not applicable	Not applicable

[No. 38/4/74-Admn B.]

SHITAL PRASAD, Dy.
Director of Estates (Admn)

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1974

सा० का० नि० 1116 —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964, में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् --

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली 1974 कहा जा सकेगा;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, 'मोटर मैकेनिक' के पद से संबंधित क्रम संख्या 50 के सम्मुख कालम 5 तथा 7 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्;—

(1) कालम 5 : लागू नही होता ।

(2) कालम 7 : "मोटर ड्राइवर के रूप में 5 वर्ष की सेवा रखने वाले कार्यालय के मोटर ड्राइवरों में से व्यावहारिक परीक्षा के बाद वरीयता तथा योग्यता आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"

[सं० 1/7/70-बी(ए)]

मोहन लाल टण्डन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th August, 1974

G.S.R. 1116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 50 relating to the post of 'Motor Machanic' in columns 5 and 7, for the entries the following entries shall respectively be substituted, namely :—

5	7
"Not applicable"	"100 % by promotions from Motor Drivers in the office, with five years service as motor Driver, on the basis of seniority-cum-fitness after a practical test, failing which by direct recruitment,

[No. 1/7/70-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली 3 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1117 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड के प्रशासनिक एकक में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड प्रशासनिक एकक (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना :—ये नियम इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3 संख्या वर्गीकरण और वेतनमान —पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 मे विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

5 निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों मे से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और, अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. **अधीक्षक**	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	550-20-650-25-750 रु० पुनरीक्षित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. **सहायक**	तीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग II, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	210-10-290-15-320-द० रो०-15-425 रु० (पुनरीक्षण से पूर्व)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. **वैयक्तिक सहायक**	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु० पुनरीक्षित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता